Question: 3 भारत की कृषि समस्या पर प्रकाश डालते हुए इसके निवारण हेतु नीतियों का वर्णन कीजिए।

Answer: →

भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन यह कृषि उत्पादन में पाश्चात्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। इसका मुख्य कारण है कि भारतीय कृषि अनेक समस्याओं से पीड़ित है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्यायें निम्नलिखित हैं :-

① बाढ़ व सूखे का प्रकोप :→ भारत में बाढ़ एवं सूखे के कारण कृषि उत्पादन को बहुत बड़ी हानि होती है। भारत का लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ व लगभग एक-चौथाई क्षेत्रफल सूखे की में आने वाला क्षेत्र है। बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन की तो हानि होती ही है साथ-साथ अनेक जीव-जन्तु मर जाते हैं तथा अनेक मनुष्य बेघर हो जाते हैं। बाढ़ से निपटने के लिये हमारी सरकार अनेक तरीके अपना रही है लेकिन अभी इसको रोकने में सक्षम नहीं है।

② छोटी जोतों की उत्तरोत्तर वृद्धि :— भारत का लगभग 75 प्रतिशत कृषक सीमान्त व लघु जोत वाले हैं। लगभग 33% कृषक ऐसे हैं जिनके पास जोत की भूमि (कृषि योग्य) 0.2 हेक्टेयर से भी कम है। छोटी जोत आर्थिक दृष्टि से हानिकारक होती है। इस प्रकार की जोतों में कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग नहीं होता है। वैसे भी भारत में बंटवारे (परिवार में कृषि-भूमि बंटवारा) की प्रणाली से भी भूमि छोटी-छोटी जोतों में बदल जाती है। छोटी जोत में अधिक लागत अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी उत्पादन अधिक नहीं होती।

③ कृषि में निवेशों की कमी :— भारत देश में अधिकांश कृषक इतने गरीब हैं कि इनके पास कृषि कार्यों में व्यय करने के लिये पूंजी नहीं है ये कृषक नई किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाईया, सिंचाई के साधन आदि में पूंजी व्यय नहीं कर

UTTAM PRODUCT

Scanned with CamScanner

सकते। इस प्रकार ये कृषक भूमि से अधिकतम उत्पादन लेने से वंचित रहते हैं।

(4) **आधुनिक कृषि विधियों की अपर्याप्त जानकारी :—** कृषि वैज्ञानिकों ने जो कृषि विधियां (कृषि के तरीके) बताई हैं उन विधियों का ज्ञान अभी तक 20% कृषकों को नहीं है। इसका मुख्य कारण है कृषकों का निरक्षर (अनपढ़) होना। इसके साथ-साथ कृषि प्रसारण भी रेडियो व दूरदर्शन तक ही सीमित है जिसकी सुविधा निर्धन (गरीब) किसानों के पास नहीं है। इस प्रकार कृषि की आधुनिकतम विधियों का कृषकों को ज्ञान न होना भी प्रमुख समस्या है।

(5) **कृषि उपजों पर आधारित कुटीर उद्योगों की कमी :—** कृषि उपजों पर आधारित कुटीर उद्योगों की बहुत कमी है। जिसके कारण कृषकों को अपनी फसल का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी बढ़ती जा रही है। गाँव में इस प्रकार के उद्योग लगाये जायें जिससे कृषि उत्पादकों का उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाय। इस प्रकार के उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में लगाने से एक तो किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होगा तथा दूसरे क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होगा।

(6) **भू-स्वामी कृषकों की संख्या में कमी :—** ग्रामीण क्षेत्रों में अब अधिकांश कृषक ऐसे पाये जाते हैं जो कि कम भूमि होने के कारण दूसरे धन्धों में कार्यरत रहते हैं तथा अपनी भूमि को ठेके पर दे देते हैं अर्थात भूमि में कृषि कार्य स्वयं न करके दूसरे को ठेके पर दे देते हैं। इस प्रकार छोटे कृषक भूमि से अधिक उत्पादन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास पूँजी का अभाव रहता है पूँजी के अभाव के कारण ये कृषक रासायनिक उर्वरकों, जोत के नये यंत्रों, सिंचाई के साधनों, कीटनाशक दवाइयों आदि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

(7) **बाजार में कृषि उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना :—** फसल काटने के बाद कृषकों को ऐसी हाट या बाजार की सुविधा नहीं है जिससे कि उन्हें अपनी उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके।

Scanned with CamScanner

कृषक जब अपने उत्पादित माल को बाजार में बेचता है तो उसे अपेक्षाकृत कम मूल्य प्राप्त होता है। लेकिन कुछ समय पश्चात यदि उसे वही माल बाजार से खरीदना पड़े तो उसे बेचे गये मूल्य से दो-तीन गुणा अधिक मूल्य देना पड़ेगा। माल को भण्डारण करने की सामर्थ्य किसान में नहीं है क्योंकि भूमि के अलावा आय का अन्य कोई साधन नहीं है जिससे कि वह अपनी जीविका चला सके।

(8) ऊर्जा की कमी :→ ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल व घरेलू उद्योगों के लिए बिजली की कमी बनी रहती है। बिजली की कमी से ठीक समय पर न सिंचाई हो पाती है और न ठीक समय पर फसल बोई जाती है। इस तरह सम्पूर्ण फसल चक्र ऊर्जा के अभाव से प्रभावित होती है।

(9) सहकारी संस्थाओं का प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध न होना :- सहकारी संस्थाओं की सुविधायें प्रत्येक ग्राम में उपलब्ध नहीं है। इनके उपलब्ध न होने से किसानों को ऋण, अच्छे बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, रसायनिक उर्वरक अच्छे कृषि यंत्र आदि की असुविधा होती है। इन सुविधाओं के न मिलने से कृषि उत्पादन प्रभावित होती है।

(10) परस्पर सहयोग का अभाव :- आज ग्राम में कृषकों में परस्पर सहयोग का अभाव पाया जाता है। कृषक अपने तक ही सीमित होता जा रहा है। उसका पड़ोसी से कोई लेन-देन नहीं है। यदि सब सहयोग से रहे व आपस में मिलकर कृषि कार्य करे तो फसल उत्पादन विधि अधिक होगा। यदि कृषक मिलकर कार्य करते हैं तो उससे पूँजी की भी बचत होती है अलग-अलग कार्य करने से कृषक अपने कार्य को समय से नहीं कर पाता।

● कृषि समस्या के निवारण हेतु नीति :-

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारतीय कृषि अनेक समस्याओं से पीड़ित है। अगर समस्याओं को दूर नहीं किया जाय तो भविष्य में और अधिक कठिनाइयों का सामाधान करना पड़ेगा। एनसीआरबी के ही आंकड़ों के अनुसार, 1995 से लेकर 2016 तक एक कृषि प्रधान देश में कुल 3,29,907 किसानों ने आत्महत्या

की। इतनी बड़ी कृषि आबादी का मरना हमारी सरकारों की आर्थिक नीतियों पर प्रश्न उठता है। किसानों की आर्थिक हालात को बेहतर करने के मकसद से 18 नवम्बर 2004 को केन्द्र सरकार ने एम स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया, स्वामीनाथन आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के तरीके लागू करने पर जोर देते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया जाता। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। 1985 में लागत निर्धारण भी इस आयोग का हिस्सा बना था। तभी से इसे कृषि लागत एव मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। आयोग 23 वस्तुओं के एम एस पी की सिफारिश करता है। इसमें 7 अनाज — (धान, गेहू, मक्का, शर्बत, मोटी बाजरा, जौर और रागी) 5 दाले — (चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर) 7 तिलहन (मूगफली, सरसों, सोयाबीन, सफुर्दीवास, सूर्यमुखी, कुसुम, निगरसिड) और 4 वाणिज्य फसले (खोपरा, कपास और कच्ची जूट) शामिल है।

कृषि क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए हर सरकार ने कृषिनीति अपनायी। सरकार कृषि क्षेत्र की समस्याओं को दूर ~~करने~~ करने की बड़ी प्राथमिकता देते हैं। इसके तहत मोदी सरकार ने कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए 'प्रधान मंत्री कृषि सम्मान योजना' के दायरे को बढ़ाया गया। इसमें देश के हर किसान को शामिल करने की मंजूरी दी गई। कहीं न कहीं सरकार भी समझती है कि कृषि क्षेत्र की समस्याओं को दूर किये बिना देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार नहीं बढ़ी जा सकती है। आज भी आबादी का अधिक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है। इसमें कृषि की भागीदारी काफी अधिक है।

वर्तमान सरकार ने अपने पहले 5 वर्षों के कार्यकाल के अन्त में प्रधान मंत्री कृषि सम्मान के जरिये किसानों 6000 का भुगतान किया ताकि किसान कृषि कार्य हेतू खाद-आदि खरीद सकें।

विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रान्ति को अपनाये जाने के बाद, भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है। ज्ञात है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है किन्तु यह लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

कृषि पर भारत की निर्भरता और जलवायु-प्रेरित आपदाओं को देखते हुए देश भर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्लाइमेट विलेज (Climate Smart villages) का विस्तार किया जा रहा है।

अतः भारतीय कृषि समस्या निवारण हेतु सरकार ने नर्सरी के विकास हेतु 50% का अनुदान, सुखाने का शेड निर्माण हेतु 50 से 100% का अनुदान, भंडारण हेतु गोदाम निर्माण हेतु 50 से 100% का अनुदान, प्रसंस्करण इकाई हेतु 25% का अनुदान आदि की व्यवस्था की है।

विश्व की सबसे बड़ी योजना 'मनरेगा' के तहत होने वाली कार्यों में से 65% कार्य कृषि से सम्बंधित किया जाता है जिसमें नहरों की सफाई, तालाबों का निर्माण एवं सफाई, आहर, करहा आदि की सफाई, रेह युक्त भूमि को काट कर कृषि युक्त बनाना यह सभी कार्य भारतीय कृषि के उपज हेतु की जा रही है।

UTTAM PRODUCT

Scanned with CamScanner